एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय नगर पालिका मण्डल चिड़ावा (झुंझुनू)

Ph.01596-220430,220040 emailnagarpalika.chirawa@gmail.com

क्रमांक :नपाचि / 2021–2022 / 586 दिनांक :– 17/12/2021

आम नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका क्षेत्र के मण्डैला रोड क्षेत्र में स्थित सीवरेज परिषोधन संयत्र (एस.टी.पी.) से निकलने वाले परिषोधित जल को अपने स्तर पर तैयार संसाधनो के माध्यम से पशुओ के लिए हरा चारा उत्पादन करने, वृक्ष लगाने, फ्लोरि कल्चर, सिंचाई, फैक्ट्री, उधोग आदि अन्य अपेय कार्यो हेतु उपयोग स्थल तक ले जाकर काम लेने अथवा इस हेतु विक्रय करने के लिए खुली बोली के द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए नीलामी खुली बोली दिनांक 27/12/21 अपरांह 03.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक (नीलामी नही होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस तक लगातार) नगरपालिका चिडावा में लगाई जावेगी। इच्छुक व्यक्ति / संस्था / फर्म नगरपालिका कार्यालय में उपस्थित होकर बोली की शर्तो का कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में अवलोकन कर सकते है अथवा **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

क.स.	एस.टी.पी. साईट का विवरण	धरोहर राशि रुपये
1	मण्डैला रोड क्षेत्र, नगरपालिका चिडावा	25000 / –

1. यह नीलामी अवधि 3 वर्ष के लिए होगी। बोली में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को निर्धारित धरोहर राशि नगद जमा करवाने अथवा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका चिडावा के नाम से जारी डी.डी / बैंकर्स चैक जमा करवाने के पश्चात ही बोली में सम्मिलित किया जावेगा।
2. एस.टी.पी. से प्राप्त होने वाले परिषोधित जल को ठेकेदार अपने स्तर पर स्वंय के खर्चे पर नाला, खाल, पम्प, पाईप आदि बनाकर / लगाकर हरा चारा उत्पादन, वृक्षारोपण, फ्लोरि कल्चर एंव सिंचाई आदि कार्यो हेतु उपयोग करने अथवा इस हेतु विक्रय करने के लिये सरकारी बोली रुपये 3.00 / प्रति हजार लीटर (अक्षरे तीन रूपये प्रति हजार लीटर) से प्रारम्भ कर लगाई जावेगी।
3. सफल बोलीदाता को प्रथम वर्ष पूर्ण होने से पहले अगले द्वितीय व इसी अनुरुप तृतीय वर्ष के ठेके के नवीनीकरण के लिए निर्धारित राशि 10 प्रतिशत बढोतरी के साथ ठेकेदार द्वारा 2 माह पूर्व जमा करवानी होगी।
4. जिस बोलीदाता की सबसे अधिक बोली होगी उसको कुल एक वर्ष की अनुमानित 15 लाख लीटर प्रतिदिन पानी की अन्तिम बोली दर अनुसार राशि की 1 / 4 राशि अगले कार्य दिवस में 03.00 बजे तक जमा करवानी होगी एंव शेष 3 / 4 राशि बोली स्वीकृति के 15 दिवस के भीतर जमा करवानी होगी, अन्यथा समस्त जमाशुदा राशि जब्त कर ली जावेगी।

सुमित्रा सैनी
अध्यक्ष
नगरपालिका, चिड़ावा

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका चिडावा

क्रमांक:नपाचि / 2021–22 / 587 594
दिनांक 17/12/2021

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमन निदेशक एंव संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान उप निदेशक (क्षेत्रीय)महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं।
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, चिडावा।
5. नोटिस बोर्ड नगरपालिका चिडावा,उपखण्ड कार्यालय,तहसील कार्यालय चिडावा।
6. सम्पादक महोदय .... को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना आगामी तिथि के समाचार पत्र में न्यूनतम स्कैच में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
7. विकास शाखा को भेजकर आदेशित किया जाता है कि नीलामी यूचना निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करें।
8. सुरक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका चिडावा

New Letter file 2020-21